



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 637 राँची, बुधवार,

09 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

-----

संकल्प

01 दिसम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-14/2017-12028 (HRMS)-- श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-गया), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बिशुनपुर, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-135/विधि, दिनांक 20.02.2020 द्वारा द्वारा प्रपत्र-क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. श्री राम कुंवर टाना भगत एवं श्री अजित कुजूर को नोटिस निर्गत कर दिनांक 03.06.2019 को दखल देहानी की तिथि निर्धारित आपके द्वारा की गई एवं दिनांक 12.06.2019 को श्री राम कुंवर टाना भगत को दखल दिहानी कराया गया। दिनांक 03.06.2019 को ही अजित कुजूर के द्वारा आपके कार्यालय में आवेदन देकर आपत्ति दर्ज करायी गयी थी, जिसकी कंडिका-5 में उल्लेख है कि विपक्षी के दादा झूगु उरांव ने उपायुक्त, राँची के न्यायालय में REV Case No-3R 1568.69 अपील दायर किया गया था, जिसमें सुनवाई के पश्चात उपायुक्त, राँची ने दिनांक 23.03.1971 को अपील स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, बिशुनपुर द्वारा केस नं0-11/60-61 में पारित दखल दिहानी के आदेश को रद्द कर दिया गया था, किन्तु दिनांक 12.06.2019 को दखल दिहानी के पूर्व अजित कुजूर द्वारा दिनांक 03.06.2019 को दर्ज आपत्ति पर आपके द्वारा विचार नहीं किया गया, जिसके कारण श्री अजित कुजूर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर

किया गया। रिट याचिका के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय राँची में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना था, जिसके आलोक में आपको नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने हेतु निदेश दिया गया।

आपके द्वारा उक्त मामले में पत्रांक-01/19-20 दिनांक 30.05.2019 द्वारा खास नोटिस निर्गत करते हुए उल्लेख किया गया है कि श्री राम कुमार टाना भगत पिता-स्व0 बिट्टू लोहरा टाना भगत ग्राम-डीपाडीह, नवाटोली, थाना-बिशुनपुर, जिला गुमला के मौजा डीपाडीह, थाना नं0-60, खाता नं0-34 प्लॉट नं0-25, 243, 331, 352, 353, 403, 446, 445, 447, 339, 452, 905, 908, 928 कुल रकबा-7.13 एकड़ भूमि का दखल देहानी दिनांक 03.06.2019 को उपायुक्त, गुमला के निदेशानुसार किया जाना है।

जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार, उपायुक्त, गुमला के द्वारा दखल दिहानी संबंधी कोई पत्र अथवा निदेश आपको निर्गत नहीं किया गया है। पुनः आपके द्वारा निर्धारित तिथि 03.06.2019 को श्री अजीत उराँव पिता-स्व0 सुधुवा उराँव द्वारा उक्त नोटिस के विरुद्ध दिनांक 03.06.2019 को ही एक आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदन समर्पित किया गया, किन्तु श्री कुजूर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर आपके द्वारा कोई विचार न करते हुए दिनांक 13.06.2019 को दखल दिहानी कराकर अपने पत्रांक-191/रा0 दि0 13.06.2019 के द्वारा अपर समाहर्ता, गुमला को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उपायुक्त, गुमला के द्वारा कोई आदेश नहीं दिये जाने के बावजूद आपके द्वारा आपराधिक साजिश, षडयंत्र एवं उच्चाधिकारियों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए खास नोटिस में उपायुक्त, गुमला के निर्देश का उल्लेख करते हुए नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही दिये गये आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं करते हुए दखल दिहानी का कार्य कराया गया, जो आपके स्वेच्छाचारिता एवं मनमानी को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में आपसे पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपने अपने स्पष्टीकरण में जिक्र किया है कि उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-266/रा0 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में दखल देहानी से संबंधित कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, टंकण भूलवश नोटिस में अपर समाहर्ता गुमला के स्थान पर उपायुक्त, गुमला टंकित हो गया था। अपर समाहर्ता, गुमला द्वारा दूरभाष पर भी त्वरित कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ था। श्री राम कुंवर टाना भगत के द्वारा माननीय न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के आदेश की प्रति संलग्न किया गया था। उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया गया था। श्री अजीत कुजूर द्वारा कार्यालय के अपराहन में अपना आवेदन समर्पित किया गया, जिसके कारण इनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी तथा दखल दिहानी की तिथि भी नोटिस के माध्यम से निर्धारित की गयी थी। श्री कुजूर को बताया कि अपर न्यायालय में आप जा सकते हैं। श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण उसे अस्वीकार करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसका उत्तर भी कमोवेश प्रथम स्पष्टीकरण में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप पाया गया।

2. श्री सिन्हा के द्वारा गलत निर्णय लिए जाने के कारण श्री अजीत कुजूर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में रिट याचिका दायर की गयी, जिसके कारण राज्य सरकार/जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई।

3. श्री सिन्हा द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1845, दिनांक 11.03.2020 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्रांक-315/वि0, दिनांक 20.04.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला (राजस्व शाखा) अपर समाहर्ता गुमला के पत्रांक 266/रा0 दिनांक 27.02.2019 के एवं दूरभाष पर बार-बार त्वरित कार्रवाई के आलोक में दखल दिहानी की कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी। विदित हो कि अपर समाहर्ता के पत्र के साथ माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के आदेश की प्रति संलग्न किया गया था। दोनों पक्षों को इस संदर्भ में नोटिस अंचल कार्यालय, बिशुनपुर गुमला के पत्रांक-01/2019-20 दिनांक 30.05.2019 को निर्गत किया गया, जिसमें दखल दिहानी की तिथि 03.06.2019 को निर्धारित की गयी थी। नोटिस में टंकण भूलवश अपर समाहर्ता के स्थान पर उपायुक्त लिखा गया था, जिसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

दिनांक 03.06.2019 को तय तिथि को अपर समाहर्ता के निदेशानुसार दखल दिहानी की कार्रवाई की गयी एवं श्री अजीत कुजूर द्वारा दिनांक 03.06.2019 को अपराहन में नोटिस के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गयी, जिसके कारण दर्ज आपत्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

श्री अजीत कुजूर के आपत्ति आवेदन पर दिनांक 16.08.2019 को पुनः सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को 04.08.2019 को नोटिस निर्गत किया गया तथा दिनांक 16.08.2019 को दोनों पक्षों के प्रस्तुत कागजातों के निरीक्षण के पश्चात् दखल दिहानी निरस्त करने की अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला को सुनवाई के पश्चात् उसी दिन अंचल कार्यालय, बिशुनपुर के पत्रांक-321 दिनांक 16.08.2019 को भी प्रेषित किया गया एवं दोनों पक्षों को दखल दिहानी का कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया। परन्तु उच्च अधिकारी गुमला के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

2. दखल दिहानी का कार्य गैर इरादतन उच्च अधिकारी के निदेश पर किया गया था, क्योंकि टाना भगत द्वारा उच्च अधिकारियों पर काफी दबाव था। परन्तु श्री कुजूर के आपत्ति पर सुनवाई के दौरान उनके कागजातों के निरीक्षण के उपरान्त त्वरित कार्यवाही करते हुए दखल को निरस्त करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता को पत्र निर्गत किया गया। अगर उच्च अधिकारी द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई कर दी गयी होती तो माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में राज्य सरकार/जिला प्रशासन की छवि धूमिल नहीं होती।

3. उपरोक्त दखल दिहानी का कार्य केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए गैर इरादतन किया गया है और दोनों पक्षों के कागजातों के निरीक्षण के उपरान्त उचित कार्रवाई करते हुए दखल दिहानी को निरस्त करने हेतु उच्च अधिकारी को तुरन्त प्रेषित किया गया। साथ ही दोनों पक्षों को दखल दिहानी का कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया।

श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2910 दिनांक 18.06.2020 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-685/स्था0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

1. अंचल अधिकारी, बिशुनपुर के कार्यालय पत्रांक-01/19-20 दिनांक 30.05.2019 द्वारा निर्गत खास नोटिस में उपायुक्त, गुमला के निर्देशानुसार दखल दिहानी की कार्रवाई संबंधी अंकन किया गया है,

जबकि दखल देहानी की कार्रवाई अपर समाहर्ता, गुमला के पत्रांक-266/रा0 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में की गई है।

2. उपायुक्त, गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 12.06.2019 को दखल देहानी की कार्रवाई की गई एवं दिनांक 03.06.2019 को श्री अजीत कुजूर द्वारा दर्ज आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया, जबकि श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 03.06.2019 को तय तिथि में ही दखल देहानी की कार्रवाई की गई एवं श्री कुजूर द्वारा उसी दिन अपराहन में नोटिस के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किये जाने के कारण आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सका। दखल देहानी का कार्य वास्तव में किस तिथि को सम्पन्न हुआ, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख में संलग्न नहीं है। यदि अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2019 को ही दखल देहानी की कार्रवाई कर दी गई थी, तो 10 दिनों के पश्चात् अंचल अधिकारी, बिशुनपुर के पत्रांक-191/रा0 दिनांक 13.06.2019 द्वारा अपर समाहर्ता, गुमला को दखल देहानी का प्रतिवेदन क्यों प्रेषित क्यों किया गया? इसके अतिरिक्त श्री सिन्हा द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न विविध वाद सं0-01/19-20 की छायाप्रति के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख की कार्रवाई दिनांक 07.08.2019 को प्रारंभ की गई, जबकि उक्त वाद से संबंधित नोटिस दिनांक 30.05.2019 को निर्गत है। उनके द्वारा दखल देहानी से संबंधित पूर्व में प्रारंभ वाद की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कतिपय तथ्य छिपाये गये हैं।

अतः समीक्षोपरांत उपायुक्त, गुमला के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बिशुनपुर, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.     | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | UDAY KUMAR SINHA<br>JHK/JAS/311 | श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बिशुनपुर, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972